Home Science
Explore – Journal of Research for UG and PG Students
ISSN 2278 – 0297 **(Print)**
ISSN 2278 – 6414 **(Online)**
© Patna Women's College, Patna, India
http://www.patnawomenscollege.in/journal

जन वितरण प्रणाली के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता से संबंधित एक अध्ययन

साजदा परवीन • प्रनीता राय • अमृता प्रियदर्शिनी • कुमारी रूपम

Received : December 2010
Accepted : February 2011
Corresponding Author : Kumari Rupam

Abstract : *प्रस्तुत अध्ययन फुलवारी शरीफ प्रखण्ड के जन-वितरण प्रणाली के विभिन्न दुकानों के 150 उपभोक्ताओं पर आकस्मिक-सह-उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया गया। इन दुकानों का चुनाव दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा किया गया। अध्ययन का उद्देश्य था :* (1) *जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था के प्रति आम जनता की जानकारी के स्तर का पता लगाना,* (2) *जन वितरण प्रणाली की सफलता में विभिन्न प्रकार के अवरोधक तत्वों का पता लगाना तथा* (3) *कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जन वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन करना। अध्ययन के उद्देश्य पूर्त्ति के लिए यह परिकल्पना बनाई गई* (1) *मध्यम तथा निम्न आयवर्गीय जनता जन वितरण प्रणाली के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूक होंगे,* (2) *मध्यम तथा निम्न आय वर्गीय जनता जन वितरण प्रणाली के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठा रही होंगी तथा* (3) *बिहार में राशन दुकानों द्वारा खाद्यान्न के उपभोग की मात्रा 5%से भी कम की आपूर्त्ति की जाती होगी । आंकड़ा प्राप्ति हेतु Personal Data Sheet एवं साक्षात्कार अनुसूची विधि का उपयोग चयनित उपभोक्ताओं पर किया गया एवं प्राप्त Data का विश्लेषण ग्राफीय विधि तथा प्रतिशत गणना के आधार पर किया गया। प्राप्त परिणाम के आधार पर स्पष्ट हुआ कि कई पंचायतों के उपभोक्ताओं में ए0 पी0 एल0, बी0 पी0 एल0 तथा अंत्योदय योजना के प्रति जागरुकता 75% से 100% पाई गई, जबकि कुछ पंचायत में इन योजनाओं की जानकारी लगभग 50% से भी कम लोगों को थी। कई पंचायत में अंत्योदय योजना की जानकारी 20% लोगों में तथा अन्नपूर्णा योजना की जानकारी का अभाव पाया गया। प्राप्त परिणाम एवं सांख्किीय गणना के आधार पर परिकल्पनाओं को समर्थन प्राप्त हुआ। उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में यह सुझाव दिया गया कि कार्ड वितरण में सही मापन प्रणाली होनी चाहिए, जिन क्षेत्रों में जागरूकता का स्तर निम्न है उन क्षेत्रों में जागरूकता का स्तर बढ़ाना चाहिए।*

शब्द कुंजी: *जनवितरण प्रणाली, बी॰पी॰एल॰, ए॰पी॰एल॰ ।*

साजदा परवीन
B.A. III year, Home Science (Hons.), Session: 2008-2011,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

प्रनीता राय
B.A. III year, Home Science (Hons.), Session: 2008-2011,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

अमृता प्रियदर्शिनी
B.A. III year, Home Science (Hons.), Session: 2008-2011,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

कुमारी रूपम
Assistant Professor, Department of Home Science,
Patna Women's College, Bailey Road,
Patna – 800 001, Bihar, India
E-mail : drkrupam@yahoo.com

परिचय :

मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व भोजन है। जब जनता को पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन प्राप्त ना हो तो उनका शारीरिक बौद्धिक विकास बाधित होता है तथा वे अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों के शिकार हो सकते हैं। हमारे देश में भोजन की उपलब्धता ही एक गंभीर समस्या है, जिसके परिणामस्वरूप आजादी के 63 वर्ष बाद भी पिछड़े जनजाति इलाकों एवं मलिन बस्तियों में भूखमरी एवं कुपोषण व्याप्त है। किसी कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समस्त नागरिकों के लिए खाद्यान्न की आपूर्त्ति सुनिश्चित करें। उपभोक्ताओं तक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ''आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955'' का प्रावधान किया गया, जिसके तहत सरकार तथा सरकारी ऐजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों का वितरण सुनिश्चित किया गया; जिसे जन वितरण प्रणाली कहा गया। (आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, 2009, 2)।

यह प्रणाली केन्द्र तथा राज्य सरकार के सम्मिलित सहयोग से कार्य करती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन तथा थोक बंटबारे का प्रबंध करती है तथा राज्य सरकार कार्यान्वयन से संबंधित जिम्मेवारियों का संचालन करती है। देश के योजनाबद्ध विकास में प्रारंभ से ही गरीब वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, लेकिन इस दौरान देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। वह खाद्यान्नों की कमी से जूझ रहा था। अत: चाहते हुए भी गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के संबंध में विशेष कुछ नहीं किया गया। भूख की भयावह स्थिति एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अन्न की कमी एवं अनाजों के भंडारण आदि आवश्यकताओं के कारण भारत में जनवितरण प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

भारत में जनवितरण प्रणाली एक अल्प विक्रय या फुटकर विक्रय प्रणाली है जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित एवं मार्गदर्शित की जाती है (Dholakia, Nikhilesh , 1979, 20) । सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रणाली जनता तक उचित दर पर खाद्यान्नों की आपूर्त्ति सुनिश्चित करती है लेकिन यह पहुँच उस मामले में व्यर्थ है, जहाँ आर्थिक पहुँच नगण्य है। भारतीय इतिहास में आर्थिक स्थिति के संदर्भ में शायद पहले कभी भी आर्थिक व्यवहारिकता या प्रबंधकीय क्षमता जैसे विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, जो उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में आज किया जा रहा है। (Singh U.K., 1991, 12) । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक उपयोगी और कुशल बनाने के लिए विगत वर्षों के अंतर्गत सरकार ने अपनी नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं संशोधन किए हैं। निर्धनता रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों को खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उदेश्य से सरकार ने जून, 1997 से लक्षित जनवितरण प्रणाली (T.P.D.S.) लागू की है।

सरकार जनवितरण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चला रही है, जो निम्नलिखित है :-

- **ए॰पी॰एल॰ योजना (हरा कार्ड) :** इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को अनुदानिक दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ।
- **बी॰पी॰एल॰ योजना (लाल कार्ड) :** बी॰ पी॰ एल॰ परिवारों को 5.22 रु॰ प्रति किलोग्राम की दर से 10 कि॰ ग्राम॰ गेहूँ एवं 6.78 रु॰ प्रति कि॰ ग्राम॰ की दर से 15 कि॰ ग्राम॰ चावल अर्थात् कुल 25 कि॰ ग्राम॰ खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता हैं।
- **अंत्योदय अन्न योजना (पीला कार्ड):** इस योजना के अंतर्गत जरुरतमंद (अतिगरीब) परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर 2 रु॰ प्रति कि॰ ग्रा॰ गेहूँ तथा 3 रु॰ प्रति कि॰ ग्रा॰ की दर से 25 कि॰ ग्रा॰ चावल उपलब्ध कराया जाता है ।
- **अन्नपूर्णा योजना (केन्द्र आयोजित योजना) (श्वेत कार्ड) :** इस योजनान्तर्गत राज्य में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे पेन्शनरों को 20%, वैसे अनाश्रय वृद्ध, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उन्हें पेन्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ तथा 4 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। (वार्षिक प्रतिवेदन, 2005 - 06, 2)

भारत में जब से जन वितरण प्रणाली कार्य कर रहा है, उस समय से इस क्षेत्र में पर्याप्त शोधों का अभाव रहा है। अत: इस क्षेत्र में अपेक्षित सुधार हेतु पर्याप्त शोधों की आवश्यकता है।

उद्देश्य : अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे :

(1) जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था के प्रति आम जनता की जानकारी के स्तर का पता लगाना।

(2) जन वितरण प्रणाली की सफलता में विभिन्न प्रकार के अवरोधक तत्वों का पता लगाना।

(3) कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जन वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन।

परिकल्पना : उन उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पना बनाई गयी:

(1) मध्यम तथा निम्न आयवर्गीय जनता जन वितरण प्रणाली के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूक होगी।

(2) मध्यम तथा निम्न आयवर्गीय जनता जन वितरण प्रणाली के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ पा रही होगी।

(3) बिहार में राशन दुकानों द्वारा खाद्यान्न के उपभोग की मात्रा 5% से भी कम की आपूर्त्ति की जाती होगी।

अध्ययन प्रणाली :

अध्ययन का क्षेत्र :- फुलवारी शरीफ प्रखण्ड ।

फुलवारी शरीफ प्रखण्ड में मकानों की संख्या 29095 है, जिसकी जनसंख्या 1,91,005 है । इस प्रखण्ड में जन वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या 54 है, इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं के संदर्भ में वितरक से जानकारी प्राप्त की गयी।

प्रतिदर्श और प्रतिचयन :

फुलवारी शरीफ प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या में से दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा 10% दुकानों का चुनाव किया गया और इन चुने हुए दुकानों में से 150 उपभोक्ता आकस्मिक-सह-उद्देश्यपूर्ण तरीके से चुने गये।

तथ्यों का संकलन:

Personal Data Sheet के माध्यम से उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत संबंध में सूचनाएँ प्राप्त की गयीं । शोधकर्त्ताओं द्वारा Interview Schedule बनाकर उपभोक्ताओं से आवश्यक एवं संगत सूचनाएँ प्राप्त की गयीं । Interview लेने के बाद जितनी भी सूचनाएँ प्राप्त हुईं उन्हें प्रदत्त के रुप में माना गया।

तथ्यों का विश्लेषण:

प्रदत्त विश्लेषण के लिए Graphic Method का प्रयोग किया गया ।

परिणाम एवं परिचर्चा

Below table showing the number of awareness in Public Distribution System Card holder and their % calculation and result.

Name of Panchayat	Total Number of Card in fair price shops	Number of Sample taken from the total unit of card	Number of Awareness among Card Holder												
			Number of APL card holdes to whom question asked	Total number of aware-ness in BPL	% of awareness	Number of BPL card holders to whom question asked	Total number of aware-ness in BPL	% of Aware-ness	Number of Aantodaya Card holders to whom question asked	Total number of aware-ness in Aantodaya	%of Aware-ness	Number of Aanapoorana card holdes to whom question asked	Total number of aware-ness in Aanapoorna	% of aware-ness	Total sample taken by incidental method
सकरैचा (ग्राम-सोताचक)	945	25	17	16	94.112	4	3	75	4	3	75	–	–	–	25
सुईथा सिमरा (ग्राम-सुईथा)	300		9	9	100	12	10	83.3	4	4	100	–	–	–	25
चिल्लबिल्ली (ग्राम-चिल्लबिल्ली)	523		11	6	54.24	9	1	11.11	5	1	20	–	–	–	25
गोनपुरा (ग्राम-आलमपुर)	1208		12	12	100	8	8	100	4	3	75	1	1	100	25
सोरमपुर (ग्राम-अधपा)	836		14	7	50	7	1	14.28	3	1	33.33	1	NIL	10	25
कोरियावाँ (ग्राम-कोरियावाँ)	100		8	8	100	11	11	100	6	6	100	–	–	–	25

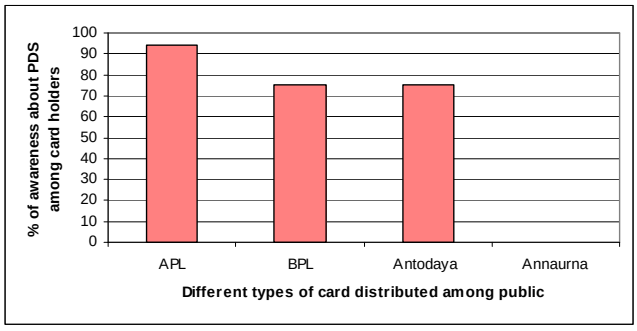

चित्र सं0- 01 प्रखंण्ड-फुलवारी शरीफ, पंचायत- सकरैचा, ग्राम- सोताचक

नागरिक खाद्य आपूर्ति के संदर्भ में नागरिकों की जागरूकता जानने के लिए Interview Schedule का प्रयोग किया जिसके आकलन से पता चलता है कि पंचायत-सकरैचा, ग्राम-सोताचक की जनता में ए० पी० एल०, बी० पी० एल०, तथा अन्त्योदय में क्रमशः 94%, 75% तथा 75% जनता में जागरूकता पाई गयी। लेकिन इसी पंचायत में अन्नपूर्णा योजना में एक भी उपभोक्ता नहीं पाए गए जिसे इस योजना की जानकारी हो। ऐसा लगता है कि ए० पी० एल० कार्डधारकों में जागरुकता का स्तर 94.11% है। यह निष्कर्ष हमें सोचने हेतु बाध्य करता है कि ए० पी० एल० कार्डधारकों का (Social) सामाजिक और शैक्षणिक स्तर ऊँचा है, उनकी सोच में बदलाव आया है।

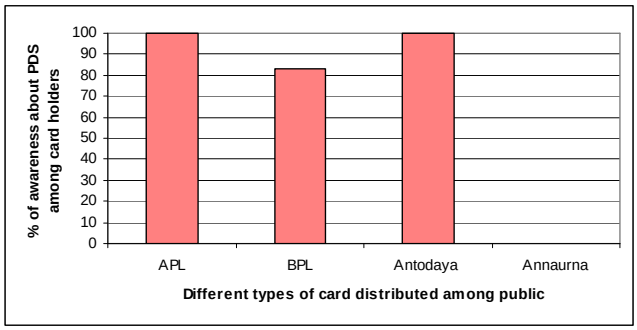

चित्र सं0-02 प्रखण्ड-फुलवारी शरीफ, पंचायत-सुईथा-सिमरा, ग्राम-सुईथा

पंचायत-सुईथा, ग्राम-सुईथा की जनता में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अन्त्योदय योजना में क्रमशः 100%, 83.3% तथा 100% जागरुकता पाई गई, लेकिन इसी पंचायत के अन्नपूर्णा योजना में एक भी जागरुक उपभोक्ता की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं हो पाई।

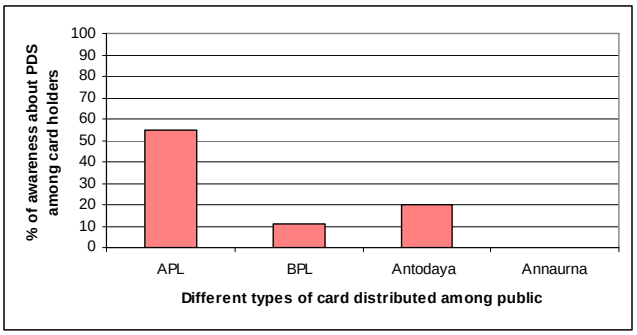

चित्र सं0-03 प्रखण्ड-फुलवारी शरीफ, पंचायत-चिल्लबिल्ली, ग्राम-चिल्लबिल्ली

पंचायत-चिल्लबिल्ली, ग्राम-चिल्लबिल्ली की जनता में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अन्त्योदय योजना में क्रमशः 54.54%, 11.11% तथा 20% जागरूकता पाई गई लेकिन इसी पंचायत में अन्नपूर्णा योजना में एक भी जागरुक उपभोक्ता उपलब्ध नहीं हो पाया। ए० पी० एल० कार्डधारकों में जागरुकता का निम्न स्तर उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को ज्ञात कराता है।

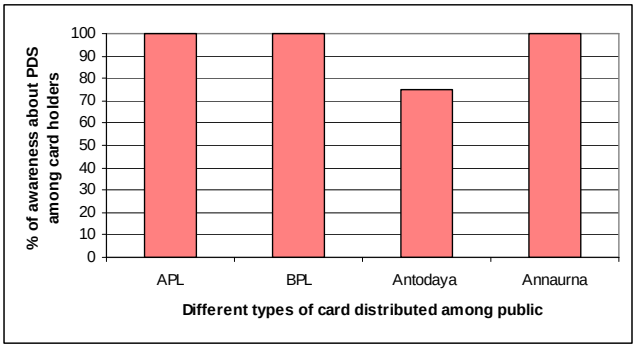

चित्र सं0-04 प्रखण्ड-फुलवारी शरीफ, पंचायत-गोनपुरा, ग्राम-आलमपुर

पंचायत-गोनपुरा, ग्राम-आलमपुर की जनता में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय योजना में क्रमशः 100%, 100% तथा 75% और अन्नपूर्णा योजना में 100% जागरूकता पाई गई। आलमपुर के ए० पी० एल०, बी० पी० एल० कार्डधारकों में जागरुकता का स्तर 100% है जो इनके सामाजिक स्तर का बोध कराता है, वही अन्त्योदय योजना के अंतर्गत 75% जागरुकता का स्तर इनके जागरुक होने का परिचय देता है।

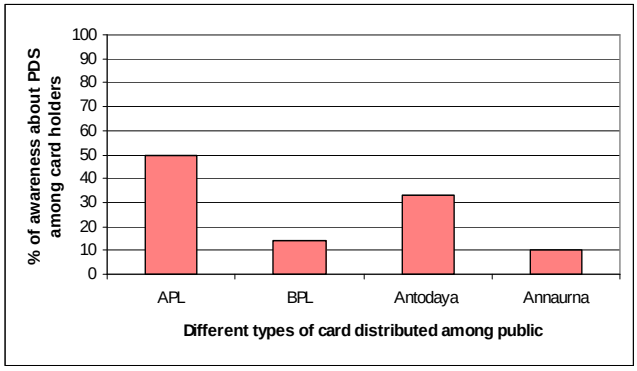

चित्र सं0-05 प्रखण्ड-फुलवारी शरीफ, पंचायत-सोरमपुर, ग्राम-अधपा

पंचायत-सोरमपुर, ग्राम-अधपा की जनता में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय योजना में क्रमशः 50%, 14.28% तथा 33.33% जागरुकता पाई गयी तथा अन्नपूर्णा योजना में मात्र 10% जागरूकता पाई गयी। प्रतिशत का यह स्तर इनकी निम्न जागरूकता को दर्शता है।

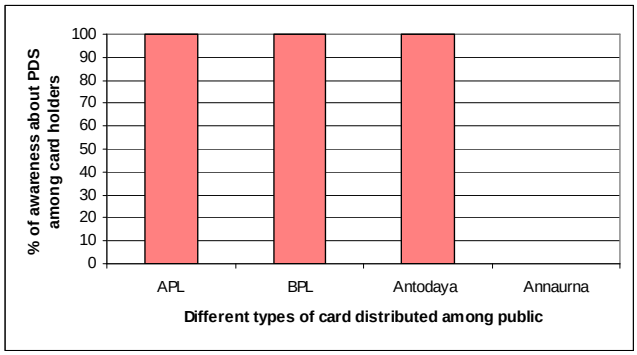

चित्र सं0-06 प्रखण्ड-फुलवारी शरीफ, पंचायत-कोरियावाँ, ग्राम-कोरियावाँ

पंचायत-कोरियावाँ, ग्राम कोरियावाँ की जनता में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय योजना में क्रमशः 100%, 100% तथा 100% जागरुकता पाई गई, लेकिन इसी पंचायत की कोरियावाँ ग्राम में अन्नपूर्णा योजना में एक भी जागरुक उपभोक्ता उपलब्ध नहीं हो पाया। ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अन्त्योदय में एक समान जागरुकता का स्तर पाया गया, जो 100% था।

निष्कर्षः

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है किः-

- पंचायत-सकरैचा ग्राम सोताचक के लोगो में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय में 94.11%, 75% तथा 75% जागरुकता पाई गई।
- पंचायत-सुईथा-सिमरा, ग्राम सुईथा के लोगों में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय में 100%, 83.3% तथा 100% जागरुकता पाई गई।
- पंचायत-चिल्लबिल्ली, ग्राम चिल्लबिल्ली के लोगों में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय में क्रमशः 54%, 11% तथा 20% जागरुकता पाई गई।
- पंचायत-गोनपुरा, ग्राम-आलमपुर के लोगों में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय में क्रमशः 100%, 100% तथा 75% जागरुकता पाई गई।
- पंचायत-सोरमपुर, ग्राम-अधपा के लोगों में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय में क्रमशः 50%, 14.28% तथा 33.33% जागरुकता पाई गई।
- पंचायत-कोरियावाँ, ग्राम-कोरियावाँ के लोगों में ए० पी० एल०, बी० पी० एल० तथा अंत्योदय में क्रमशः 100%, 100% तथा 100% जागरुकता पाई गई।
- पंचायत-गोनपुरा में अन्नपूर्णा योजना में 100%, सोरमपुर पंचायत में 10% जबकि अन्य पंचायत में एक भी उपभोक्ता उपलब्ध नहीं हो पाया।

सुझावः

हमारे देश में लगभग 23 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। ऐसे लोगों के बीच खाद्यान्नों की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार की ओर से कई ठोस कदम उठाये गए हैं जिसमें से एक है- जन वितरण प्रणाली; लेकिन सर्वेक्षण द्वारा पाया गया कि जन वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में कई खामियाँ हैं जिससे ये आम उपभोक्ता के लिए काफी कारगर साबित नहीं हो पाया है। अतः इसके कार्यान्वयन में सुधार एवं लोगों को जागरुक बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :-

- कुछ जगहों पर उपभोक्ता द्वारा यह बताया गया कि हमारे यहाँ दुकान महीनों तक नहीं खुलती है ऐसे में सरकार को पी०डी०एस० प्रभारी बनाने के लिए प्रशासनिक प्रणाली में आवश्यक सुधार लाना होगा ।

- कार्ड वितरण में Effective Measurement System होनी चाहिए, जिससे कि उचित आदमी को उचित कार्ड मिले सकें, जिससे उन्हें पूर्ण रुप से उचित मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति हो।
- जिन क्षेत्रों में जागरुकता का स्तर निम्न है उन क्षेत्रों में जागरुकता का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार को सामाजिक-आर्थिक विकास पर विशेष रुप से कार्य करना चाहिए ।
- सरकार को पी० डी० एस० के द्वारा आपूर्ति की जानेवाली खाद्यान्नों के Nutritional Value में सुधार करनी चाहिए।
- सरकारी गोदामों से सीधे मुखिया अथवा वार्ड-आयुक्त तक उपभोक्ता वस्तुओं को पहुँचाने एवं 5 सदस्यीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की समिति द्वारा वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बी० पी० एल० सूची के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य को अधिक पारदर्शी एवं प्रमाणिक बनाने हेतु मुखिया अथवा वार्ड आयुक्त की जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। सही जिम्मेवारी नहीं निभाने की स्थिति में उन पर आपराधिक मुकदमों के साथ-साथ उचित दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
- मान्यता प्राप्त विश्वसनीय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संबद्ध क्षेत्रों का आर्थिक सर्वेक्षण करवाना चाहिए।

संदर्भ सूची:

Dholakia. Nikhilesh (1979), Public Distributions System, Evaluation and Prospects, Allen Unwin and Company Ltd. New Delhi.

Singh U. K. (1991), Public Distribution System, New Delhi, Mittal Publication.

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, 2009, मल्होत्रा ब्रदर्स, पटना।

वार्षिक प्रतिवेदन, 2005-2006 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

website :

www.fcami-nic.in/DFPD/eventlisting.asp, 18sep.2010.